फारम संख्या 562

कार्यालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक मो. तामील मल्लिक ....प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम

मो. मुस्तकिम मल्लिक वगैरह ...द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ......152/22......सन् 2022

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक/आवेदिका – मो0 तामिल मल्लिक पिता स्व0 मो0 महबुब मल्लिक ग्राम – मनकडीहा, थाना – बिरनी, जिला – गिरिडीह. द्वारा दं0 प्र0 स0 कि धारा 144 के अन्तर्गत विवादित भूमि मौजा – मनकडीहा खाता सं0 – 11 प्लॉट नं0 – 930 रकबा – 22 डी0, मध्ये $2\frac{1}{2}$ डी0 वर्तमान चौहदी उ0 – हाल केवालादार विमला देवी, दं0 – नीज हिस्सेदार, पू0 – युसुफ वगैरह, पं0 – रास्ता, मे भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्रप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी बिरनी/थाना प्रभारी बिरनी से मांगे। अभिलेख दिनांक ......15/12...... को उपस्थापित करें।	

Scanned with CamScanner

...की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी ..बिरनी.. के ज्ञापांक सं0 ..2693/22.. दिनांक ..16/12/2022.. के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक ..05/1/2023.. को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक ..05/1/2023.. को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया (हस्ताक्षर) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
05/1/23	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतनामा हाजिर। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 19-01-2023 को पेश।	
19.1.23	प्रथम पक्ष वकालतनामा हाजिर। द्वितीय पक्ष अनुप। To 2/2/23 19/1	
2/2/23	उभय पक्ष वकालतनामा हाजिर। To 16/2/23 2/2	
16.2.23	प्रथम पक्ष अनुप। द्वितीय पक्ष वकालतनामा हाजिर। द्वितीय पक्ष की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल। प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रश्नागत भूमि मौजा- मनकडीहा, थाना- बिरनी के अंतर्गत खाता- 11, प्लाट- 930, रकबा 22 डी. मध्ये 2½ डी. है भूमि है। खतियान रैयत उभय पक्ष के पूर्वज हैं। प्रथम पक्ष खतियान के आधार पर अपना दावा करते हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्य -3 द्वारा खतियानी रैयत के अन्य वंशज	

ा फो क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	के द्वारा ~~द्वितीय पक्ष के क्रम सं० 3 को~~ विक्रय पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भूमि हासिल करने का दावा कर रहे हैं। उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के पिता मेंहदी मल्लिक को वर्ष 1971 में पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि हासिल है। विक्रय पत्र के निष्पादन होने के लगभग 52 वर्षों के बाद प्रथम पक्ष के द्वारा यह वाद लाया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। थाना प्रभारी सिरनी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदन के अनुसार द्वितीय पक्ष को भूमि केवाला से हासिल है तथा उन्होंने मुन्नी देवी को चाहरदिवारी करने हेतु दिया है। ~~प्रथम~~ प्रथम पक्ष द्वारा उक्त कार्य का विरोध किया जा रहा है। उभय पक्ष आपस में गोतिया हैं। उनके बीच में हिस्सा को लेकर विवाद है। उक्त विवेचन के आलोक में नियमन को प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष तथा द्वितीय पक्ष के हित में स्थित घोषित करता हूँ। चूँकि यह	

Scanned with CamScanner

...की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	मामला आपसी बंटवारे से सम्बन्धित है, अतः उभय पक्ष को समाधान हेतु सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष रखने का निदेश दिया जाता है। यह वाद द. प्र. स. की धारा 144(4) के प्रावधानों से परिचालित होगा। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। (हस्ताक्षर) 16/2/23	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.02.25 13:28:39 +05:30
Location: 192.168.1.7

Scanned with CamScanner